RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २] शुक्रवार, फेब्रुवारी २७, २०१५/फाल्गुन ८, शके १९३६ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

गृह विभाग

विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र १, कफ परेड,
मुंबई ४०० ००५, दिनांकित १६ फरवरी २०१५ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2015.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २, सन् २०१५।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९५१ का २२।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १९५१ का २२ की धारा (२) में संशोधन।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,– सन् १९५१ का २२ ।

(क) खण्ड (४) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (४क) " सशस्त्र पुलिस " का तात्पर्य, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस नाईक, पुलिस प्रमुख कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षक से है ; ";

(ख) खण्ड (६क) में, " दो वर्षों के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् " शब्दों के स्थान में, " धारा २२ढ की उप-धारा (१) में यथा उल्लिखित सामान्य कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् " शब्द रखे जायेंगे ।

(ग) खण्ड (१०क) में,—

(एक) " और आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड " शब्दों के स्थान में, " आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड " , " जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड " और " विशेषित अभिकरणों के स्तरों पर पुलिस स्थापना बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " और २२ झ " शब्दो, अंकों और अक्षरों के स्थान में, " , २२झ, २२ञ-१ और २२ञ-३ ", अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) खण्ड (१४क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (१४क-१) " विशेषित अभिकरणों " का तात्पर्य, गुनाह अन्वेषण विभाग, राज्य खुफिया विभाग, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो, राज्य आरक्षित पुलिस दल, आतंकवाद विरोधी दस्ता, राजमार्ग यातायात और प्रशिक्षण निदेशालय से है ; "

सन् १९५१ का २२ की धारा २२घ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २२घ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (क) में, " पुलिस अधिकारी " शब्दों के पश्चात्, " और राज्य सरकार अपनी सिफारिशों पर बल देगी " शब्द जोड़े जायेंगे ।

४. मूल अधिनियम की धारा २२झ के पश्चात्, निम्न धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" **२२झ-१.** (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) जिला पुलिस निरीक्षक	–	अध्यक्ष ;
(ख) अपर जिला मजिस्ट्रेट	–	सदस्य ;
(ग) वरिष्ठ अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक	–	सदस्य ;
(घ) पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	–	सचिव :

परंतु, यदि उपरोल्लिखित सदस्यो में से कोई पिछड़े प्रवर्ग का न हो तो, जिला पुलिस निरीक्षक, ऐसे प्रवर्ग से महानिरीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " पिछडा वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों से है ।

जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड के कृत्य।

२२घ-२. जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :

(क) बोर्ड, जिला पुलिस बोर्ड के साथ, पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के सभी पुलिस कर्मचारियों की तैनाती और अंतरण निश्चित करेगा ।

(ख) बोर्ड, जिला के बाहर के तैनाती और अन्तरण के संबंध में, पुलिस स्थापना बोर्ड क्र. २ को समुचित सिफारिशें देने के लिए प्राधिकृत होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, " पुलिस कर्मचारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस कर्मचारी से है ।

विशेषित अभिकरणों के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड।

२२झ-३. राज्य सरकार, **राजपत्र,** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, विशेषित अभिकरणों के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी, अर्थात्, गुनाह अन्वेषण विभाग, राज्य खुफिया विभाग, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो, राज्य आरक्षित पुलिस दल, आतंकवाद-विरोधी दस्ता, राजमार्ग यातायात और प्रशिक्षण निदेशालय होंगे ।

(२) विशेषित अभिकरणों के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड, सुसंगत विशेषित अभिकरण के प्रमुख के रूप में अध्यक्ष और उस विशेषित अभिकरण के तीन वरीष्ठतम पुलिस अधिकारियों से मिलकर बनेगा :

परंतु, यदि पिछड़े वर्ग से कोई उपर्युक्त सदस्य नहीं है तब, विशेषित अभिकरण के सुसंगत प्रमुख ऐसे वर्ग के किसी वरीष्ठतम पुलिस अधिकारी की अतिरिक्त सदस्य को नियुक्त करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों से है ।

विशेषित अभिकरणों के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड के कृत्य।

२२घ-४. विशेषित अभिकरणों के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :–

(क) क्रमिक बोर्ड, विशेषित अभिकरणों के भीतर पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के सभी पुलिस कर्मचारियों के तैनाती और अन्तरण निश्चित करेगा ;

(ख) क्रमिक बोर्ड, विशेषित अभिकरणों के बाहर के तैनाती और अन्तरण के संबंध में पुलिस स्थापना बोर्ड क्र. २ को समुचित सिफारिशें देने के लिए प्राधिकृत होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये " पुलिस कर्मचारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस कर्मचारी से है ।

सन् १९५१ के २२ की धारा २२ट में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २२ ट में " और आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड " शब्दों के स्थान पर " आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड, जिला स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड और विशेषित अभिकरणों के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९५१ के २२ की धारा २२ढ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा २२ ढ की (क) उप-धारा (१) में,–

(एक) " पुलिस दल में किन्हीं पुलिस कार्मिक की पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के अध्यधीन, एक पद या कार्यालय में दो वर्षों का सामान्य कार्यकाल होगा " शब्दों के स्थान में, निम्न रखे जायेंगे, अर्थात् :—

" (१) पदोन्नति या सेवा-निवृत्ति के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस दल में पुलिस अधिकारियों की साधारण पदावधि नीचे उल्लिखित रूप में होगी :—

(क) पुलिस उप-अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त की और इनकी श्रेणी से ऊपर के पुलिस कार्मिक के लिए साधारण पदावधि तैनात स्थान पर दो वर्षों की होगी;

(ख) पुलिस सिपाही के लिए साधारण पदावधि, तैनात स्थान पर पाँच वर्षों की होगी;

(ग) पुलिस उप-निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की साधारण पदावधि पुलिस थाने या शाखा पर दो वर्षों की होगी, जिले में चार वर्ष तथा श्रेणी में आठ वर्षों की होगी, तथापि, जिले की स्थानीय अपराध शाखा तथा विशेष अपराध

शाखा और आयुक्तालय की स्थानीय अपराध शाखा तथा विशेष अपराध शाखा के लिए साधारण पदावधि, तीन वर्षों की होगी ;

(घ) पुलिस उप-निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक के लिए साधारण पदावधि मुंबई से अन्य आयुक्तालयों में छह वर्षों की होगी तथा मुम्बई आयुक्तालय में आठ वर्षों की होगी ;

(ङ) विशेषित अभिकरणों में पुलिस उप-निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक तथा पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के लिए साधारण पदावधि तीन वर्षों की होगी। " ;

(दो) निविष्टि (ग) में, " अधिकारियों से पुलिस निरीक्षक तक " संबंधी स्तंभ में, " सक्षम प्राधिकारी " शीर्षक के अधीन निविष्टि (ग) के पश्चात्, निम्न निविष्टियाँ जोड़े जाएँगी, अर्थात् :–

" (घ) जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड ।

(ङ) विशेषित अभिकरण स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड । " ;

(ख) उप-धारा (२) में,–

(एक) परंतुक, अपमार्जित किया जाएगा ;

(दो) **स्पष्टीकरण** के लिए, निम्न **स्पष्टीकरण** रखा जाएगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण.–** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए " सक्षम प्राधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, निम्न होगा :–

पुलिस कार्मिक		सक्षम प्राधिकारी ;
(क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	. .	मुख्यमंत्री ;
(ख) महाराष्ट्र पुलिस सेवा अधिकारियों तथा पुलिस उप अधीक्षक की श्रेणी से ऊपर	. .	गृहमंत्री ;
(ग) पुलिस कार्मिक से पुलिस निरीक्षक तक की क्रमशः श्रेणी या आयुक्तालय या विशिष्ट अभिकरण के भीतर अंतरण के लिए	. .	पुलिस स्थापना बोर्ड क्र. २;
(घ) पुलिस कार्मिक से पुलिस निरीक्षक तक की क्रमशः श्रेणी या आयुक्तालय या विशिष्ट अभिकरण के भीतर अंतरण के लिए	. .	श्रेणी, आयुक्तालय या, यथास्थिति, विशेषित अभिकरण के स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड;
(ङ) जिला के भीतर पुलिस कार्मिक से पुलिस निरीक्षक तक के अंतरण के लिए	. .	जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड :

परंतु, किसी गंभीर शिकायत, अनियमितता, विधि और व्यवस्था के मामले में, उच्चतम सक्षम प्राधिकरण, संबंधित पुलिस स्थापना बोर्ड के किसी सिफारिश के बिना, किसी पुलिस कार्मिक का अंतरण कर सकता है ।

७. मूल अधिनियम की धारा २२ ढ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

सन् १९५१ का १२ की धारा २२ढ-१ में निविष्टि।

" **२२ढ-१.** इस अधिनियम की धारा २२ ढ की उप-धारा (१) या अन्य किसी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक विभाग या कार्यालय से पुलिस कार्मिकों के बड़े पैमाने पर हुए अंतरण पर सरकारी कार्य में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, तो एक वर्ष में एक ही समय पर, किसी कार्यालय या विभाग से पुलिस कार्मिकों के अंतरण एक-तिहाई से अधिक न किए गए हैं इसे सुनिश्चित करना । "।

वक्तव्य

सन् १९९६ की रिट याचिका (सिविल) क्र. ३१० में दिनांकित २२ सितंबर २००६ को सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, महाराष्ट्र सरकार ने, धारा ६ को संशोधित करके महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक का चयन और पदावधि करने का उपबंध करने के लिए और उक्त अधिनियम में विभिन्न धाराओं, को सम्मिलित करके राज्य सुरक्षा आयोग, विभिन्न स्तरों पर पुलिस स्थापना बोर्ड, परिचालन कर्तव्यों पर पुलिस की न्यूनतम पदावधि, पुलिस अन्वेषक और पुलिस कानून एवं सुव्यवस्था का पृथक्करण और राज्य तथा विभागीय स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण आदि का गठन करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम को संशोधित किया गया है।

तथापि, उपरोक्त संशोधनों से अर्जित अनुभव के आधार पर पुलिस सुधार की भावना को आगे कार्यान्वित करने के लिए तथा सभी स्तरों पर पुलिस दल में प्रशासनिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के लिए और राज्य पुलिस दल के विशेषित अभिकरणों के लिए और पुलिस निरीक्षक की श्रेणी तक के तैनात पुलिस कार्मिक को भी पर्याप्त पदावधि मुहैया करने के लिए जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड को स्थापित करना इष्टकर होगा।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में एक वर्ष के भीतर पुलिस कार्मिक के अंतरणों का अधिकतम प्रतिशत नियत नहीं किया गया है। इसलिए, एक ही समय पर एक कार्यालय या विशिष्ट शाखा से पुलिस कार्मिक के बड़े पैमाने वाले अंतरण के कारण सरकारी कार्य में प्रतिकूल प्रभाव न ड़ाल सके यह सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के भीतर के अंतरणों का अधिकतम प्रतिशत नियत करना इष्टकर होगा।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपरोल्लिखित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन् १९५१ का २२) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित १३ फरवरी २०१५।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

गौतम चॅटर्जी,

सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

स. का. जोंधळे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.